14/05/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी वकील उप०।
वादी वकील ने पत्रावली पर पैरवी की हिदायत नहीं लिखा। अतः न्यायालय समय में वादी गण को रुक-रुककर तीन बार आवाज लगाई लेकिन वादीगण की ओर से कोई उप० नही आया। अतः वादी का वाद वादीगण वकील द्वारा पैरवी की हिदायत नही होने से No-instraction में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

पैरवी हिदायत
नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 19:47:57 IST
Reason: SelfAttested